"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 21] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 23 मई 2014—ज्येष्ठ 2, शक 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, श्रीमती माधुरी भिड़े धर्मपत्नी श्री दीपक कुमार भिड़े, उम्र 57 वर्ष, निवासी-मकान नं. 40, वार्ड नं. 5, मरारपारा दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) की हूं. यह कि विवाह पूर्व मेरा नाम कुमारी मीना कोरान्ने आत्मजा श्री शंकर राव कोरान्ने था तथा मेरे सर्विस बुक एवं समस्त शैक्षणिक प्रमाण पत्रों में अंकित है. मेरा विवाह दिनांक 9-5-1983 को श्री दीपक कुमार भिड़े आत्मज दत्तात्रय भिड़े के साथ हिन्दू रीति रिवाज के साथ सम्पन्न हुआ. विवाह पश्चात् मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम श्रीमती माधुरी भिड़े रख ली हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दी हूं.

अत: अब मुझे श्रीमती माधुरी भिड़े पति श्री दीपक कुमार भिड़े के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम

कुमारी मीना कोरान्ने
आत्मजा-श्री शंकर राव कोरान्ने
निवासी-मकान नं. 40, वार्ड नं. 5, मरारपारा दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नया नाम

श्रीमती माधुरी भिड़े
पति-श्री दीपक कुमार भिड़े
निवासी-मकान नं. 40, वार्ड नं. 5, मरारपारा दुर्ग
तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, अयाज शेख पिता श्री वी. के. अग्रवाल, आयु 29 वर्ष, निवासी-बी-15, सड़क 5, सेक्टर-बी, पंचशील हाउसिंग सोसायटी, बोरसी दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरा पूर्व नाम आशीष कुमार अग्रवाल पिता श्री वी. के. अग्रवाल था. मैं अपने नाम को परिवर्तित कर नया नाम अयाज शेख रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे अयाज शेख पिता श्री वी. के. अग्रवाल के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
आशीष कुमार अग्रवाल पिता-श्री वी. के. अग्रवाल निवासी-बी-15, सड़क-5, सेक्टर बी, पंचशील हाउसिंग सोसायटी, बोरसी दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	अयाज शेख पिता-श्री वी. के. अग्रवाल निवासी-बी-15, सड़क-5, सेक्टर बी, पंचशील हाउसिंग सोसायटी, बोरसी दुर्ग, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

नाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, दीपक कुमार धाड़से पिता स्व. पंजाब राव, उम्र 29 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 9 एफ, सड़क 27, जोन 2, खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे पुत्र का जन्म दिनांक 8-11-2011 को सेक्टर 9 हास्पिटल में हुआ जिसका घरेलू नाम तन्मय धाड़से मेडिकल कार्ड में दर्ज किया गया है. मैं अपने पुत्र का नाम परिवर्तित कर नया नाम अथर्व धाड़से रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मेरे पुत्र को अथर्व धाड़से पिता श्री दीपक कुमार धाड़से के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
तन्मय धाड़से पिता-श्री दीपक कुमार धाड़से निवासी-क्वा. नं. 9 एफ, सड़क नं. 27, जोन 2, खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	अथर्व धाड़से पिता-श्री दीपक कुमार धाड़से निवासी-क्वा. नं. 9 एफ, सड़क नं. 27, जोन 2, खुर्सीपार भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

उपनाम परिवर्तन

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मैं, विजय कुमार पाण्डेय पिता श्री नथुनी पाण्डेय, उम्र 49 वर्ष, निवासी-क्वा. नं. 15/ए, सड़क नं. 24, सेक्टर 7, भिलाई, तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.) का हूं. यह कि मेरे सर्विस रिकार्ड एवं मैट्रिक के प्रमाण पत्र में मेरा नाम विजय कुमार दर्ज है जबकि मेरे डिप्लोमा, पेन कार्ड एवं अन्य शैक्षणिक प्रमाण पत्र में मेरा नाम विजय कुमार पाण्डेय दर्ज है. मैं अपने नाम के साथ उपनाम पाण्डेय जोड़कर नया नाम विजय कुमार पाण्डेय रख लिया हूं तथा इस आशय के संबंध में सक्षम प्राधिकारी के समक्ष शपथ पत्र प्रस्तुत कर दिया हूं.

अत: अब मुझे विजय कुमार पाण्डेय पिता श्री नथुनी पाण्डेय के नाम से जाना, पहचाना, पुकारा व दर्ज किया जावे.

पुराना नाम	नया नाम
विजय कुमार (Vijay Kumar) पिता-श्री नथुनी पाण्डेय निवासी-क्वा. नं. 15/ए, सड़क नं. 24, सेक्टर-7, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)	विजय कुमार पाण्डेय (Vijay Kumar Pandey) पिता-श्री नथुनी पाण्डेय निवासी-क्वा. नं. 15/ए, सड़क नं. 24, सेक्टर-7, भिलाई तहसील व जिला दुर्ग (छ.ग.)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक सार्वजनिक न्यास, रायपुर

रायपुर, दिनांक 7 मई 2014

प्र. क्र. / /ब-113 (1)/वर्ष 2012-13

क्रमांक/96/अ.वि.अ./ट्रस्ट/2014.—आम जनता को सूचित किया जाता है कि आवेदक श्रीमती अनु जैरानी पति डॉ. प्रहलाद जैरानी, निवासी-जगन्नाथ मंदिर के पीछे, ए-27 गायत्री नगर रायपुर द्वारा "श्री एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट (न्यास)" गायत्री नगर रायपुर को छ.ग. लोक न्यास अधिनियम 1951 की धारा-4 (1) के अनुसार निम्नलिखित अनुसूची में दर्शायी गई संपत्ति को पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन कराने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया है.

यदि किसी भी व्यक्ति को ट्रस्ट अथवा संपत्ति में अभिरूचि हो और ट्रस्ट के संबंध में कोई आक्षेप करने की इच्छा हो या सुझाव देना हो तो वे इस सूचना निकलने की एक माह की अवधि में इस न्यायालय में अपने लिखित वक्तव्य की दो प्रतियां प्रस्तुत करें और पेशी के दिन कार्यालय समय में स्वत: या अपने अधिवक्ता अथवा एजेंट के माध्यम से दिनांक 13-06-2014 को उपस्थित होवें. निर्धारित तिथि के पश्चात् प्रस्तुत किये गये आक्षेपों पर किसी भी प्रकार का विचार नहीं किया जावेगा.

मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय की मुद्रा से आज दिनांक 07-05-2012 को जारी.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम, पता व संपत्ति का विवरण)

(1)	पब्लिक ट्रस्ट का नाम व पता	:	"श्री एजुकेशनल एण्ड चेरिटेबल ट्रस्ट (न्यास)" गायत्री नगर, रायपुर
(2)	चल संपत्ति	:	10000/- रु. नगद
(3)	अचल संपत्ति	:	निरंक

एस. के. अग्रवाल,
अनुविभागीय अधिकारी एवं
पंजीयक.

अन्य सूचनाएं

कार्यालय, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, जिला-कोण्डागांव

कोण्डागांव, दिनांक 3 मार्च 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/स.प.को/परिसमापन/2014/112-A.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा प्राथमिक वन उद्यान पौधा बीज एवं खाद् सहकारी समिति मर्या. पलारी विकासखण्ड कोण्डागांव, जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयक क्रमांक/AR/BTR/491 दिनांक 02-08-2004 है, को छ.ग. सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री ए. के. नामदेव, व.स.नि. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं आशीष शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 03-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

कोण्डागांव, दिनांक 3 मार्च 2014

छ.ग. सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) के अंतर्गत

क्रमांक/स.प.को/परिसमापन/2014/112-A.—इस कार्यालय के आदेश क्रमांक/परि./103 दिनांक 28-02-2013 के द्वारा आदिवासी शिक्षित युवा बेरोजगार सहकारी समिति मर्या. बड़ेराजपुर विकासखण्ड बड़ेराजपुर, जिला-कोण्डागांव जिसका पंजीयक क्रमांक/AR/BTR/490 दिनांक 27-07-2004 है, को छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 69 के अंतर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा 70 के अंतर्गत श्री बी मजुमदार स.वि.अ. को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था की संपूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है संस्था के परिसमापक की कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं आशीष शर्मा, सहायक पंजीयक, सहकारी समितियां, कोण्डागांव छत्तीसगढ़ सहकारी समितियां अधिनियम 1960 की धारा 18 (1) (2) एवं सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक एफ-51-99/पन्द्रह-1 सी दिनांक 26-07-99 के अन्तर्गत प्रदत्त पंजीयन की शक्तियों का प्रयोग करते हुये उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करते हुये संस्था का निकाय (बाडी कारपोरेट) समाप्त करता हूं.

आज दिनांक 03-03-2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

आशीष शर्मा,
सहायक पंजीयक.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित—2014.